



Neutral Citation No. - 2026:AHC:52685-DB

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5996/2026

मुनाजिर खानयाची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्यप्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : वहाज अहमद सिद्दीकी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन,

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नन्दन,

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन द्वारा सुनाया गया)

1. इस न्यायालय के पिछले आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता ने एक अनुपूरक हलफनामा दायर किया है। अनुपूरक हलफनामे के पैरा 3 में ज़मीन और उसके याचिकाकर्ता के पास होने, और बाद में 1995 में याचिकाकर्ता के दादा जिनका नाम छिद्दा खान है द्वारा कथित तौर पर मस्जिद बनाने के लिए उसे वक्फ को सौंपने के बारे में जानकारी दी गई है।

2. राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री मनीष गोयल जिनकी मदद विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री प्रियंका मिधा ने की, ने इस मामले में न्यायालय के पिछले आदेश जो 27.02.2026 का है, का ज़िक्र किया और उन्होंने उस आदेश के पैरा-4 में आई कथित गड़बड़ी को समझाने की कोशिश की, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि सिर्फ़ बीस नमाज़ियों को ही नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई थी जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि रमज़ान का समय होने के कारण उस जगह पर बड़ी संख्या में लोग नमाज़ पढ़ने आ सकते हैं। न्यायालय ने राज्य की इस दलील को खारिज कर दिया था; संक्षेप में रखने के लिए इसे यहाँ दोहराया नहीं जा रहा है, लेकिन इसका ज़िक्र ऊपर बताए गए आदेश के पैरा 4 में किया गया है।

3. बस इतना कहना ही काफी है कि इस न्यायालय ने माना कि किसी भी समय पूजा करने वालों की संख्या पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती, और राज्य ने सार्वजनिक व्यवस्था/कानून-व्यवस्था के आधार पर जो कारण बताया था, उसे खारिज कर दिया गया।

4. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इस न्यायालय को बताया है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने रिट याचिका में इस बात का गलत ज़िक्र किया था, क्योंकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दी गई है कि पूजा करने वालों की संख्या को बीस तक किसने सीमित किया है, हमने विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता की दलील पर विचार किया है, लेकिन जानकारी के स्रोत के संबंध में हम उनसे सहमत नहीं हो सकते। 27.02.2026 का आदेश खुले न्यायालय में दोनों पक्षों की मौजूदगी में पारित किया गया था। जब आदेश लिखवाया जा रहा था, तो राज्य की ओर से उस परिसर में नमाज़ अदा करने की अनुमति प्राप्त पूजा करने वालों की संख्या से संबंधित तथ्यात्मक पहलुओं में किसी भी विसंगति के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। हालाँकि, उक्त आदेश में, इस न्यायालय ने आदेश के पैराग्राफ 6 में प्रभावी हिस्से को पारित करने का आधार बताया है। इसलिए, यदि याचिकाकर्ता द्वारा गलत बयानी के कारण उक्त आदेश तथ्यों के आधार पर त्रुटिपूर्ण था, तो राज्य की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता इस न्यायालय को उक्त आदेश में उस तथ्य को दर्ज करने से बहुत अच्छी तरह रोक सकते थे।

5. हालाँकि आज, अनुपूरक हलफनामा देखने के बाद, जिसमें उस जगह की तस्वीरें दी गई हैं जहाँ प्रार्थना की जानी है, यह न्यायालय मानता है कि इस समय वह ढांचा अभी मस्जिद नहीं है। तस्वीरों से पता चलता है कि बाईं ओर दो मंज़िला इमारत है और दाईं ओर दो वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। चूँकि इस जगह का इस्तेमाल पहले नमाज़ पढ़ने के लिए किया जाता रहा है, इसलिए श्रद्धालुओं को उसी जगह पर प्रार्थना करने से नहीं रोका जाएगा।

6. हमारी राय है कि इस याचिका का निपटारा राज्य को एक बार फिर यह निर्देश देकर किया जा सकता है कि वह मरानाथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य, **2026:एचसी:18364डीबी** मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पूरी तरह से ध्यान रखे। उस मामले में, खुद राज्य के निर्देशों पर, इस न्यायालय ने आदेश दिया था कि किसी व्यक्ति की निजी जगह पर प्रार्थना या धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने में कोई रुकावट या रोक नहीं हो सकती, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म या पंथ का मानने वाला हो।

7. किसी व्यक्ति (चाहे वह अकेला हो या समूह में) द्वारा निजी जगह पर प्रार्थना किए जाने के खिलाफ जताई गई किसी भी आपत्ति पर राज्य को ध्यान देना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर पूजा-स्थल और पूजा करने वालों को सुरक्षा देनी चाहिए।

8. राज्य ने एक बार फिर वही बात दोहराई है जो उसने पहले कही थी कि राज्य किसी भी समुदाय द्वारा उनकी निजी संपत्ति या उनके पूजा-स्थलों पर की जाने वाली पूजा-अर्चना में कोई दखल या रुकावट नहीं डालेगा। याचिकाकर्ता को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उस स्थान पर पूजा-अर्चना के संबंध में 1995 से लगातार चली आ रही परंपराओं का सख्ती से पालन किया जाए।

9. इस मामले को खत्म करते हुए, यह न्यायालय यह बताना ज़रूरी समझता है कि इस न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 की व्याख्या को भारत में इस्लाम धर्म को मानने वालों को कोई खास दर्जा देने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इस न्यायालय ने सिर्फ यह कहा है कि अनुच्छेद 25 भारत में हर धर्म और आस्था को बिना किसी "अगर-मगर" के समान रूप से अपने धर्म को मानने (अपनी आस्था ज़ाहिर करने), उसका पालन करने (रीति-रिवाज़, प्रार्थना, समारोह और त्योहार) और उसका प्रचार करने (दूसरों को धर्म के सिद्धांत और तौर-तरीके सिखाने) का समान और कभी न बदलने वाला अधिकार देता है। यह अधिकार सिर्फ सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। इसमें ऐसी गतिविधियों और भाषणों पर भी रोक है जिनसे एक धार्मिक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करके सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो; ऐसी गतिविधियों से संबंधित काम अनुच्छेद 25 के तहत मिलने वाली सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाएंगे और व्यक्ति को आपराधिक कानून के तहत कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. प्रार्थना के लिए इकट्ठा होना अब्राहमिक धर्मों का एक हिस्सा है। यहूदी शुक्रवार को शब्बत के लिए सिनेगॉग में इकट्ठा होते हैं, और शनिवार धर्म के अनुसार आराम और आध्यात्मिक चिंतन का दिन माना जाता है। ईसाई रविवार की प्रार्थना (मास) के लिए चर्च में और मुसलमान शुक्रवार दोपहर की नमाज़ के लिए मस्जिद में इकट्ठा होते हैं। इसके विपरीत, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म जैसे पूर्वी धर्मों में मंदिरों में पूजा के लिए सामूहिक रूप से इकट्ठा होने के कोई तय दिन नहीं होते और यहाँ समुदाय त्योहारों के जश्न (जिसमें पूजा भी शामिल है) के लिए इकट्ठा होता है। अनुच्छेद 25 देश के हर धार्मिक समुदाय को पूजा के लिए इकट्ठा होने का अधिकार देता है, लेकिन यह ऐसे कामों और बातों को सुरक्षा नहीं देता जो इकट्ठा होने के मुख्य मकसद—यानी प्रार्थना—से अलग हों। किसी भी तरह से अनुच्छेद 25 प्रार्थना की आड़ में एक धर्म द्वारा दूसरे धर्म के खिलाफ़ भड़काने की कार्रवाई को सुरक्षा नहीं देता, और सभी धर्मों के मानने वालों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए।

11. अनुच्छेद 25 धर्म और आस्था के मामले में निष्पक्ष है, और यह अंतरात्मा की जिस स्वतंत्रता की रक्षा करता है, वह एक नास्तिक को भी तर्क, विवेक और विज्ञान के आधार पर यह मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार-प्रसार करने की समान रूप से अनुमति देता है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है।

12. दुनिया की 1.4 अरब आबादी वाले इस गणतंत्र की शान इसकी मजबूती और सहनशक्ति में है। यह शक्ति इसकी ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता से आती है, एक ऐसी विविधता जो इस धरती के किसी और देश में नहीं मिलती, यहाँ हर प्रमुख धर्म, संस्कृति और अलग-अलग भाषाएँ सदियों से शांति, सद्भाव और आपसी सम्मान के साथ एक-दूसरे के साथ मिलकर रही हैं, भारत का संविधान लागू होने के बाद, अनुच्छेद 25 ने इस व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया।

13. इसके साथ ही, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

14. राज्य से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस आदेश की एक प्रति यू.पी. के पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), यू.पी. तक पहुँचे, ताकि इसे राज्य के सबसे निचले स्तर के कानून प्रवर्तन अधिकारी तक पहुँचाया जा सके।

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नन्दन) (न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन)

16 मार्च, 2026

नोमान

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"